परिपत्र

विषयः 31.01.2022 तक अचल संपत्ति की विवरणी भरने संबंधी।

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 (1) के खण्ड (II) के प्रावधानों के तहत, सभी समूह 'क' एंव 'ख' के सरकारी कर्मचारियों द्वारा, स्वयं एवं उन पर आश्रितों के संबंध में 31.12.2021 तक की अपनी अचल संपत्ति की विवरणी 31.01.2022 तक जमा करना अनिवार्य है, जो की अधिकांश सरकारी कर्मचारियों ने जमा नहीं की है । अतः सभी समूह 'क' एंव 'ख' के सरकारी कर्मचारियों को स्वयं एवं उन पर आश्रितों के संबंध में 31.12.2021 तक की अपनी अचल संपत्ति की विवरणी 31.01.2022 तक पूर्वोक्त नियमानुसार अनुसूची में निर्धारित फार्म में प्रशासन –I (समूह 'क') एंव प्रशासन –II (समूह 'ख') में जमा करने का निर्देश दिया जाता है। रिटर्न में स्वयं एंव आश्रितों के नाम पर संपत्ति का पूरा ब्यौरा अपेक्षित है, **अतः यह ध्यान दिया जाए कि जमा की जाने वाली विवरणी पूर्ण रूप से भरी जाए एंव यथावत हस्ताक्षरित की जाए।**

विवरणी का निर्धारित फार्म सलग्न है एंव कार्यालय की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है।

हस्ता/-

उपमहालेखाकार (प्रशासन)

पृष्ठांकन सं.प्रशा-1/प्रोपर्टी रिटर्न/2021-22/982 दिनांकः 24.01.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव।
2. उपमहालेखाकार (प्रशासन) के निजी सहायक/गोपनीय सहायक।
3. व.ले.प.अ. (सभी अनुभाग के मुख्यालय)/व.ले.प.अ.(प्रशासन) कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने स्कंध में कार्यरत सभी समूह 'क' एंव 'ख' के सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त निर्देश दें।
4. कार्यालय आदेश फाईल।
5. सूचना पट।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन-I)

Scanned with CamScanner